इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जून 2017—ज्येष्ठ 23, शक 1939

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. 9813-124-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजेश यादव,** अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०१७

# मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश, २०१७

**"मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक १३ मई २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

**मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.**

चूंकि, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

**संक्षिप्त नाम.**

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१७ है.

**मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.**

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

**अनुसूची का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक २२ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों (डी.सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर से संबंधित) का लोप किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक २४ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

| अनु-क्रमांक | निजी विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजी निकाय का नाम | प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति | मुख्य परिसर | अधिकारिता |
|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| "२५. | वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर. | वी आई टी ट्रस्ट, 26 मूसा स्ट्रीट टी. नगर चैन्नई, तमिलनाडु. | २०-१२-२०१२ को निष्पादित ट्रस्ट विलेख के अधीन सृजित वी आई टी ट्रस्ट तथा टी. नगर, चैन्नई, तमिलनाडु में क्रमांक ६५४/२०१२ के रूप में रजिस्ट्रीकृत है. | वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल-इन्दौर नेशनल हाइवे, कोठरी कलां, सीहोर ४६६११४. | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश. |

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २६. | सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर. | टूबा एजुकेशन सोसायटी २५० सागर प्लाजा, जोन-२, एम.पी. नगर, भोपाल. | मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी. | सेज विश्वविद्यालय, कैलोद करताल, इन्दौर-देवास बायपास, राऊ इन्दौर. | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश." |

भोपाल :
तारीख : ९ जून, २०१७

**ओम प्रकाश कोहली**
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2017

क्र. 9813-124-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजेश यादव**, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 of 2017

## THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2017.

**first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th June, 2017.**

Promulgated by the Governor in the Sixty-eighth year of the Republic of India

**An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.**

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

**Short title.**

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2017.

**Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended.**

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in section 3.

**Amendment of schedule.**

3. In the Schedule to the principal Act,—

(i) serial number 22 and entries relating thereto (regarding D. C. University, Indore) shall be omitted;

(ii) after serial number 24 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be added, namely:—

| S. No. | Name of private university | Name of sponsoring body | Mode of forming sponsoring body | Main campus | Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| "25. | VIT Bhopal University, Sehore. | VIT Trust, 26 Moosa Street T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu. | VIT Trust created under the Trust Deed executed on 20-12-2012 and registered as No. 654/2012 at T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu. | VIT Bhopal University, Bhopal-Indore National Highway, Kothri Kalan, Shehore-466114. | Whole of Madhya Pradesh. |
| 26. | Sage University, Indore. | Truba Education Society, 250 Sagar Plaza, Zone-II, M. P. Nagar, Bhopal. | Society, Registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973). | Sage University, Kailod Kartal, Indore-Dewas Bypass, Rau, Indore. | Whole of Madhya Pradesh." |

BHOPAL :
Dated, the 9th June, 2017

OM PRAKASH KOHLI
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.